

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली फरुखाबाद

दि०-18.02.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्त को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अपचारी XXX मु०अ०स० 549/2017 वाद संख्या- 167/2020 धारा 302,307 भा०द०वि० थाना को० फरुखाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहररि के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 18.02.2026 को मा० न्यायालय स्पेशल पाक्सो एक्ट जनपद फरुखाबाद द्वारा अपचारी XXX को दोषसिद्ध कर 10 वर्ष के कारावास की सजा व 35 हजार रुपये के अर्धदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी- श्री प्रदीप कुमार




को० मो० हे०का० राजेश कुमार



पैरोकार हे०का० धर्मेन्द्र कुमार



मिशन शक्ति 5.0





थाना कमालगंज





मिशन शक्ति 5.0



कोतवाली मोहम्मदाबाद



Fatehgarhplice



मिशन शक्ति 5.0



थाना मऊदरवाजा

